

निगाहनी

फर्द अहकाम

लेम्बू वॉ. बनाम सुमेर धर्मा

न्यायालय A.M. 111

संख्या 35/2018

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16.7.25	<p>पमावनी पेश है। आदिबन्दा निगाहनीकर के फायदा आवाइ दिवई है। आबू 4 अनुपाधि पूर्व में भी अनुपाधि रहा है। पमावनी हेतु जीपत श्री। अनुपाधि श्री। स्थिति में प्रीत होता है कि निगाहनीकर आदिबन्दा प्रकटा में रुकी बनी रहते हैं। ऐसी स्थिति में आमतान कलतन अनुपाधि रद्दने पर सिविल प्रक्रिया संदिता आदेश 9 सिपम 3 के अन्तर्गत निगाहनीकर की निगाहनी आदिज भी जारी है। पमावनी काद तक प्रील तरीक दाखिल करार है।</p>	

अतिरिक्त कलेक्टर एवं  
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर